## हिमाचल प्रदेश सरकार शहरी विकास विभाग ।


संख्याः यु०डी०-ए(३)-14/2015 तारीख

शिमला -2 🚺 अगस्त ,2016

### अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल , इस विभाग की अधिसूचना संख्या यु०डी०-ए(3)-6/2011 तारीख 01-02-.2012 के अधिक्रमण में और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गांरटी अधिनियम, 2011 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त . शक्तियों का प्रयोग करते हुए , हिमाचल प्रदेश शहरी विकास विभाग के लिए उपरोक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु सेवाओं , पदाभिहित अधिकारियों , प्रथम अपील प्राधिकारी , द्वितीय अपील प्राधिकारी और नियत समय सीमा को निम्नलिखित प्रकार से अधिसूचित करते हैं , अर्थात :-

क्रम संख्या	सेवा / लोक सेवा का नाम	<b>पदाभिहित</b> अधिकारी	सेवा प्राप्त करने के लिए आवेदन का प्रपन्न(फार्मेट)	सेवा प्राप्त करने के लिए अपेक्षित दस्ताबेजों की सूची	व्यक्ति जो सेवा के लिए आवेदन कर सकेगा	सेवा के लिए समय सीमा	प्रथम अपील प्राधिकारी	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	जन्म का रजिस्ट्रीकरण	रजिस्ट्रार ,जन्म और मृत्यु (मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी) नगर—निगम / कार्यकारी अधिकारी , नगरपालिका परिषद् / सचिव, नगर पंचायत	हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम 2003 के अधीन विहित प्ररूप संख्या 7 पर ।	चिकित्सा अधिकारी की रिपोर्ट, यदि जन्म स्वास्थ्य संस्थान में हुआ है ,यदि जन्म घर पर हुआ है तो जन्म प्रपत्र पारिवारिक चिकित्सक / नर्स / प्रशिक्षित दाई / वार्ड पार्षद द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित हो ।	माता—पिता या कोई अन्य पारिवारिक सदस्य ।	दो दिन	आयुक्त, नगर निगम /सम्बद्ध उप— मण्डल मजिस्ट्रेट ।	हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम,2003के अनुसार ।
2	मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण	रजिस्ट्रार ,जन्म और मृत्यु (मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी) नगर—निगम/ कार्यकारी अधिकारी , नगरपालिका परिषद्/सचिव, नगर पंचायत	हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम ,2003 के अधीन विहित प्ररूप संख्या 8 पर ।	चिकित्सा अधिकारी की रिपोर्ट , यदि मृत्यु स्वास्थ्य संस्थान में हुई है,। यदि मृत्यु घर पर हुई है तो रिपोर्ट पारिवारिक चिकित्सक / वार्ड पार्षद द्वारा हस्ताक्षरित हो	माता—पिता या कोई अन्य पारिवारिक सदस्य	दो दिन	आयुक्त, नगर निगम, सम्बद्ध उप–मण्डल मजिस्द्रेट ।	हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु रजिस्द्रीकरण नियम,2003के अनुसार
3	विवाह का रजिस्ट्रीकरण	रजिस्ट्रार / संयुक्त आयुक्त / सहायक आयुक्त नगर—निगम / कार्यकारी अधिकारी ,	हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्द्रीकरण अधिनियम , 1996 के उपबन्ध के अनुसार विहित	विवाह करने वाले व्यक्तियों का ब्यौरा	माता—पिता या कोई अन्य पारिवारिक सदस्य	दो दिन	आयुक्त, नगर निगम,सम्बद्ध उप—मण्डल मजिस्ट्रेट ।	_



	•	नगरपालिका परिषद / सचिव , नगर पंचायत ।	प्ररूप पर					
4	जन्म , मृत्यु और विवाह प्रमाण पत्र की प्रति ।	रजिस्ट्रार ,जन्म और मृत्यु (मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी), विवाह नगर—निगम/ कार्यकारी अधिकारी , नगरपालिका परिषद/सचिव , नगर पंचायत	हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1996 के उपबन्ध के अनुसार विहित प्ररूप पर	नाम,जन्म तिथि / मृत्यु / विवाह और अन्य सुसंगत ब्यौरे	परवार का कोई व्यक्ति	दो दिन	आयुक्त, नगर निगम, सम्बद्ध उप—मण्डल मजिस्ट्रेट	-
*	जल आपूर्ति कुनेक्शन	म्युनिसिपल इंजीनियर नगर निगम / कार्यकारी अधिकारी, नगरपालिका परिषद / सचिव, नगर पंचायत ।	विहित प्ररूप पर	समापन / मंजूरी पत्र, कर शोधन, स्वामित्व ,स्थल योजना और किरायदार की दशा में स्वामी का अनापत्तिप्रमाण पत्र, कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता / अभियन्ता, नगर निगम की तकनीकी रिपोर्ट ।	स्वामी या किरायदार	तीस दिन	आयुक्त, नगर निगम/ ,सम्बद्ध उप—मण्डल मजिस्ट्रेट	सम्बन्ध नगरपालिका द्वारा यथा विहित फीस
6	मल निकास कुनेक्शन	म्युनिसिपल इंजीनियर नगर निगम / कार्यकारी अधिकारी, नगरपालिका परिषद / सचिव, नगर पंचायत ।	विहित प्रारूप पर	समापन / मंजूरी पत्रा, कर शोधन, स्वामित्व,स्थल योजना और किरायदार की दशा में स्वामी का अनापत्तिप्रमाण पत्र, कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता/ अभियन्ता, नगर निगम की तकनीकी रिपोर्ट	स्वामी या किरायदार	तीस दिन	आयुक्त , नगर निगम / सम्बद्ध उप—मण्डल मजिस्ट्रेट	सम्बन्ध नगरपालिका द्वारा यथा विहित फीस
7	भवन योजना योजना (प्लान अनुज्ञा / नक्श	) की		1				
क	नई योजना की अनुज्ञा	वास्तुकार योजनाकार (ए०पी०) , नगर निगम / कार्यकारी अधिकारी , नगरपालिका परिषद / सचिव नगर पंचायत	विहित प्ररूप पर	जैसी प्ररूप में विहित है	सम्पत्ति का स्वामी	नब्बे दिन	आयुक्त, नगर निगम / सम्बद्ध उप—मण्डल मजिस्ट्रेट	सम्बद्ध नगरपालिका द्वारा यथा विडित फीस

<u> </u>	· · · · · ·	Γ	100				Г	T
ख	संशेधित एवं समापन योजना (कम्पलीशन प्लान)	वास्तुकार योजनाकार (ए०पी०) , नगर निगम / कार्यकारी अधिकारी , नगरपालिका परिषद / सचिव नगर पंचायत	विहित प्ररूप पर	जैसी प्ररूप में विहित है	सम्पत्ति का स्वामी	नब्बे दिन	आयुक्त, नगर निगम सम्बद्ध उप—मण्डल मजिस्ट्रेट	सम्बद्ध नगरपालिका द्वारा यथा विहित फीस
ग.	समापन योजना ( कम्पलीशन प्लान) सभी प्रकार से भवन के पूर्ण होने के पश्चात	वास्तुकार योजनाकार (ए०पी०) , नगर निगम / कार्यकारी अधिकारी , नगरपालिका परिषद / सचिव नगर पंचायत	विहित प्ररूप पर	जैसी प्ररूप में विहित है	सम्पत्ति का स्वामी	नब्बे दिन	आयुक्त, नगर निगम / सम्बद्ध उप—मण्डल मजिस्द्रेट	सम्बद्ध नगरपालिका द्वारा यथा विहित फीस
घ	पुरानी पद्धति पर पूनर्निर्माण	वास्तुकार योजनाकार (ए०पी०) , नगर निगम / कार्यकारी अधिकारी , नगरपालिका परिषद / सचिव नगर पंचायत	विहित प्ररूप पर	जैसा प्ररूप में विहित है	सम्पत्ति का स्वामी	साठ दिन	आयुक्त, नगर निगम / सम्बद्ध उप—मण्डल मजिस्ट्रेट	सम्बद्ध नगरपालिका द्वारा यथा विहित फीस
ড়	भवन उपयोग का परिवर्तन	वास्तुकार योजनाकार (ए०पी०) , नगर निगम / कार्यकारी अधिकारी , नगरपालिका परिषद / सचिव नगर पंचायत	विहित प्ररूप पर	जैसा प्ररूप में विहित है	सम्पत्ति का स्वामी	साठ दिन	आयुक्त, नगर निगम / सम्बद्ध उप—मण्डल मजिस्ट्रेट	सम्बद्ध नगरपालिका द्वारा यथा विहित फीस
8.	बी पी ल प्रमाण पत्र का जारी करना	संयुक्त आयुक्त / सहायक आयुक्त ,नगर निगम/ कार्यकारी अधिकारी , नगरपालिका परिषद/सचिव, नगर पंचायत	सादे कागज पर आवेदन	कार्ड़ की प्रति/ शपथ –पत्र यदि अपेक्षित हो, नाम सहित परिवार के सदस्यों की सूची , परिवार के मुखिया फोटोग्राफ ।	कोई व्यक्ति	सात दिन	आयुक्त, नगर निगम / सम्बद्ध उप—मण्डल मजिस्ट्रेट	सम्बद्ध नगरपालिका द्वारा यथा विहित फीस
9.	बिजली के लिए अनापति प्रमाण पत्र	वास्तुकार योजनाकार (ए०पी०) , नगर निगम	सादे कागज पर आवेदन	मंजूरी का संदर्भ	कोई व्यक्ति	तीस दिन	आयुक्त, नगर निगम/ सम्बद्ध उप–मण्डल	सम्बद्ध नगरपालिका द्वारा यथा विहित फीस

10	गैर ( खाद्य	/ कार्यकारी अधिकारी , नगरपालिका परिषद / सचिव नगर पंचायत संयुक्त आयुक्त	. सादे कागज पर	मंजूरी का संदर्भ	कोई व्यक्ति	तीस .	मजिस्द्रेट आयुक्त, नगर	सम्बद्ध
10	अपमिश्रण निवारण ) लाइसेंस	/सहायक आयुक्त नगर निगम/ कार्यकारी अधिकारी, नगरपालिका परिषद/सचिव, नगर पंचायत	आवेदन			दिन	निगम / सम्बद्ध उप-मण्डल मजिस्द्रेट	नगरपालिका द्वारा यथा विहित फीस
11	कैनोपी के लिए अनुमति	संयुक्त आयुक्त / सहायक आयुक्त नगर निगम/ कार्यकारी अधिकारी, नगरपालिका परिषद/सचिव, नगर पंचायत	सादे कागज पर आवेदन	मंजूरी का संदर्भ	कोई व्यक्ति	सात दिन	आयुक्त, नगर निगम / सम्बद्ध उप—मण्डल मजिस्ट्रेट	सम्बद्ध नगरपालिका द्वारा यथा विहित फीस
12	मक डंपिग के लिए अनुमति	अधिशासी अभियंता , नगर निगम / कार्यकारी अधिकारी , नगरपालिका परिषद / सचिव , नगर पंचायत	सादे कागज पर आवेदन	मंजूरी का संदर्भ	कोई व्यक्ति	सात दिन	आयुक्त, नगर निगम / सम्बद्ध उप—मण्डल मजिस्ट्रेट	सम्बद्ध नगरपालिका द्वारा यथा विहित फीस

\* ये केवल उन्हीं नगरपालिकाओं में लागू होंगे जहां दोनो सेवाएं उन्हीं के नियन्त्रणाधीन हो ।

सेवा के लिए अनुरोध विनिर्दिस्ट दस्तावेजों सिहत विहत आवेदन / प्रारूप पर पदाभिहित अधिकारी प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत उसके अधीनस्थ व्यक्ति को किया जा सकता है । अभिस्वीकृति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारंटी नियम के अनुसार जारी की जाएगी । समस्त पदामिहित अधिकारियों को प्राधिकृत व्यक्तियों के लिए आदेश जारी करना और उन्हें अधिनियम की धारा 5के अनुसार सूचना पट् पर प्रदर्शित करना अपेक्षित हैं ।

धारा 6 के अधीन आवेदन अस्वीकार करने की तारीख से तीस दिन की अविध के भीतर या नियत समय सीमा के अवसान के भीतर, प्रथम अपील प्रधिकारी को अपील की जा सकेगी।

11/8/16.

प्रथम अपील प्राधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील राज्य सूचना आयोग, हिमाचल प्रदेश, जो द्धितीय अपील प्राधिकारी है, के समक्ष दाखिल कर सकेगा ।

आदेश द्वारा,

मनीषा नंदा अतिरिक्त मुख्य सचिव (शहरी विकास) हिमाचल प्रदेश सरकार ।

पृष्ठांकन संख्या : य्०डी०-ए(३)-14/2015 शिमला-2

तारीख

1! अगस्त ,2016

- 1 प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:--
- 2 प्रधान सचिव मुख्यमन्त्री हिमाचल प्रदेश शिमला-2
- 3 वरिष्ठ निजि सचिव , मुख्य सचिव , हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-2
- 4 समस्त प्रशासनिक सचिव , हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-2
- 5 सचिव , प्रशासनिक सुधार हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला–2
- 6 निदेशक .शहरी विकास विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला-2
- 7 आयुक्त , नगर निगम शिमला एवं धर्मशाला हिमाचल प्रदेश।

VTall bigd

(नरेश ठाकुर) संयुक्त सचिव (शहरी विकास) हिमाचल प्रदेश सरकार ।

#### Government of Himachal Pradesh Department of Urban Development

No: UD-A(3)-14/2015


Dated: .

11 August ,2016.

#### **NOTIFICATION**

In supersession of this Department notification No. UD-A(3)-6/2011 dated 01-02-2012 and in exercise of the powers conferred by section 3 of the Himachal Pradesh Public Services Guarantee Act, 2011, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to notify the Services, Designated Officers, First Appellate Authority, Second Appellate Authority and the stipulated time limits for the purpose of above Act for the Department of Urban Development, Himachal Pradesh as under:-

S.N.	Name of service/ public service	Designated Officer	Format of the application to obtain service	List of documents required to obtain service	Person who can request for service	Time limit for service	First Appellate Authority	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Registration of Birth	Registrar, Birth & Death (C.H.O), M.Corp/ EO,MC/ Secy, NP	On Form No.7 prescribed under the HP Registration of Birth & Death Rules, 2003.	Report of Medical officer, if birth takes place in Health Institute in case birth takes place at home, birth proforma duly signed by the family doctor/nurse/ trained midwife/ Ward Councilor.	Parents of any other family member	2 days	Commr. of the Corp/SDM concerned	As per the HP Registration of Birth & Death Rules, 2003
2.	Registration of Death	Registrar, Birth & Death (C.H.O), M.Corp/ EO,MC/ Secy, NP	On Form No.8 prescribed under the HP Registration of Birth & Death Rules, 2003.	Report of Medical Officer, if death takes place in Health Institute. In case death takes place at home report signed by the family doctor/Ward Council.	Parents of any other family member	2 days	Commr. of the Corp/ SDM concerned	As per the HP Registration of Birth & Death Rules, 2003
3.	Registration of Marriage	Registrar/ J.C./AC of M.Corp/ EO,MC/ Secy, NP	On prescribed form as per the provision of Registration of Marriage Act, 1996.	Detail of persons getting married	Parents of any other family member	2 days	Commr. of the Corp / SDM concerned	



4.	Copy of Birth death & Marriage Certificate	Registrar, Birth & Death (C.H.O),Marri ge, M.Corp/ EO,MC / Secy, of NP	On prescribed form as per the provision of Registration of Marriage Act, 1996.	Name, date of Birth/Death/Marria ge/ and other relevant details .	Any person of family	2 days	Commr. of the Corp/SDM concerned	
5.	Water supply connection	M.E. M.Corp/ EO,MC/ Secy, NP	On prescribed form.	Completion/sanction n letter, Tax Clearance, Ownership/ site plan and NOC of owner in case of tenants Tech. report of JE/AE/ME.	Owner or tenant	30 days	Commr. of the Corp/SDM concerned	Fee as prescribed by the municipality concerned
6.	Sewerage connection	M.E. M.Corp/ EO,MC/ Secy, NP	On prescribed form.	Completion/sanction n letter, Tax Clearance, Ownership/ site plan and NOC of owner in case of tenants Tech. report of JE/AE/ME.	Owner or tenant	30 days	Commr. of the Corp/SDM concerned	Fee as prescribed by the municipality concerned
7	Building Plan/ Planning permission /map							
a	Fresh planning permission	A.P. M.Corp/ EO,MC/ Secy, NP	On prescribed form.	As prescribed in the Form	Owner of the property	90 days	Commr. of the Corp/SDM concerned	Fee as prescribed by the municipality concerned
b	Revised- cum- Completion plan	A.P. M.Corp/ EO,MC/ Secy, NP	On prescribed form.	As prescribed in the Form	Owner of the property	90 days	Commr. of the Corp/SDM concerned	Fee as prescribed by the municipality concerned
С	Completion plan (after completion of building in all respect	A.P. M.Corp/ EO,MC/ Secy, NP	On prescribed form.	As prescribed in the Form	Owner of the property	90 days	Commr. of the Corp/SDM concerned	Fee as prescribed by the Municipality concerned
d	Reconstructi on on old line	A.P. M.Corp/ EO,MC/Secy, NP	On prescribed form.	As prescribed in the Form	Owner of the property	60 days	Commr. of the Corp/SDM concerned	Fee as prescribed by the municipality concerned
е	Change of building use	A.P. M. Corp/ EO,MC/Secy,NP	On prescribed form.	As prescribed in the Form	Owner of the Property	60 days	Commr. of the Corp/SDM concerned	Fee as prescribed by the municipality concerned

Vacalle

8.	Issuance of BPL certificate	J.C./AC of M.Corp/ EO,MC/Secy, NP.	Application on plain paper	Copy of BPL card/ Affidavit, if required. List of family member with name Photograph of head of the family.		07 days	Commr. of the Corp/SDM concerned	Fee as prescribed by the municipality concerned
9.	NOC for Electricity	A.P. M.Corp/ EO,MC/Secy, NP	Application on plain paper	Reference of sanction	Any person	30 days	Commr. of the Corp/SDM concerned	Fee as prescribed by the municipality concerned
10	Non P.F.A. License	J.C./A.C. M.Corp/ EO,MC/Secy, NP	Application on plain paper	Reference of sanction	Any person	30 days	Commr. of the Corp/SDM concerned	Fee as prescribed by the municipality concerned
11	Permission for Canopy	J.C/A.C. M.Corp/ EO,MC/Secy, NP	Application on plain paper	Reference of sanction	Any person	7 days	Commr. of the Corp/SDM concerned	Fee as prescribed by the municipality concerned
12	Permission for Dumping of muck	XEN, M. Corp / EO, MC/ Secy, NP	Application on plain paper	Reference of sanction	Any person	7 days	Commr. of the Corp/SDM concerned	Fee as prescribed by the municipality concerned

# \* This will be applicable only for those Municipalities where both the services are under their control.

The request for service on the application/from prescribed alongwith specified documents can be made to the designated officer or to a person subordinate to him authorized to receive such applications. An acknowledgement will be issued as per Himachal Pradesh Public Service Guarantee Rules. All designated officers are required to issue order authorized person and display in the Notice Board as per section 5 of the Act.

An appeal under Section 6 can be filed before the first appellate authority within thirty days from the date of rejection of application or the expiry of the stipulated time limits.

An appeal against the order of the First Appellate Authority can be filed before the State Information Commission, Himachal Pradesh, who shall be the second Appellate Authority.

By Order

Manisha Nanda Additional Chief Secretary(UD) to the Government of Himachal Pradesh

Vallb 11 Any Rolb Endst. No. UD-A(3)-14/2015

dated: Shimla-2 the

11 Mgust, 2016

Copy for information and necessary action is forwarded to:

- 1. The Pr. Secretary to Chief Minister, H.P. Shimla-2
- 2. The Sr. Private Secretary to Chief Secretary, H.P. Shimla-2
- 3. All the Administrative Secretaries to the Govt. of HP. Shimla-2
- 4. The Secretary (AR) to the Govt. of HP. Shimla-2
- 5. The Director, Urban Dev. HP Shimla-2.
- 6. The Commissioner, Municipal Corporation, Shimla & Dharamshala.

Dawsk

(Naresh Thakur)
Joint Secretary(UD) to the
Government of Himachal Pradesh